अब जाति, आवासीय और आय प्रमाणपत्र बनवाने के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे कार्यालयों के चक्कर, लागू हुई नई व्यवस्था

आज से करें ऑनलाइन आवेदन

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

अब जाति, आवासीय और आय प्रमाणपत्र बनवाने के लिए कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। आप घर बैठे इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। एक दिसंबर से इसकी शुरुआत हो गई। ग्रामीण इलाकों में वसुधा केंद्रों से भी आवेदन दे सकते हैं। यह जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार ने सूचना भवन में आयोजित प्रेसवार्ता में दी। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त से राज्य में लागू सेवा का अधिकार (आरटीएस) अधिनियम के तहत अब तक करीब 55 लाख आवेदन आए हैं। इसमें सबसे ज्यादा करीब 45 लाख आवेदन सिर्फ प्रमाणपत्र के लिए हैं।

उन्होंने कहा कि प्रमाणपत्र तय समय में देने के लिए यह नई व्यवस्था की गई है। आवेदन के दौरान आवेदनकर्ता को हस्ताक्षर देने की जरूरत नहीं है। प्रमाणपत्र तैयार हो जाएगा तो व्यक्ति के मोबाइल नंबर पर एसएमएस आ जाएगा। इसे लेने के लिए प्रखंड कार्यालय आते समय व्यक्ति को अपना कोई भी एक आईडी प्रूफ मसलन वोटर आईडी, पैन कार्ड, डीएल आदि लेकर आना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में मौजूद वसुधा केंद्रों पर भी लोग जाकर आवेदन कर इसका प्रिंटआउट ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें 5 या 10 रुपए देने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन आवेदन की सुविधा से कई अन्य अहम सेवाओं को भी जोड़ने पर विचार किया जा रहा है। पासपोर्ट, राशन कार्ड जैसी सुविधाओं के लिए भी ऑनलाइन आवेदन करने पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा प्रमाणपत्र के लिए वर्तमान में निर्धारित समय को कम करने पर भी विचार हो रहा है। प्रधान सचिव ने कहा कि कई जिलों में आरटीएस के तहत प्रक्रिया निर्धारित समय में पूरी नहीं की गई है। कुछेक जिलों में प्रथम अपीलीय मामले दायर करने की कार्रवाई भी हुई है।

ऐसे करें आवेदन

- सामान्य प्रशासन विभाग की सरकारी वेबसाइट पर 'राइट टू सर्विस' या ऊपर दिए 'प्रमाण-पत्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन करें' लिंक पर क्लिक करें।
- इसके बाद स्क्रीन पर 'लोक सेवाओं का अधिकार' वेबपेज खुल जाएगा। इसमें बायीं तरफ 'अप्लाई ऑनलाइन' लिंक है।
- इस पर क्लिक करने के बाद एक सूचना का विंडो खुलेगा। इसमें सबसे नीचे मौजूद 'मै सहमत हूं' लिंक पर क्लिक करें।
- इसे क्लिक करने पर अंग्रेजी और हिंदी दोनों में नाम, प्रमाणपत्र का प्रकार और मोबाइल नंबर डालना होगा।
- हिंदी वाले कॉलम में अंग्रेजी में नाम लिखने पर वह अपने आप इसे हिंदी में कर लेगा।
- इसके बाद 'नेक्स्ट' पर क्लिक करने पर दिए गए मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस आएगा।
- यह नंबर वेरीफिकेशन कोड होगा। इस कोड को यहां डालने के बाद आगे क्लिक करें।
- तमाम जरूरी जानकारी को भरने के लिए एक आवेदन फॉर्म आएगा। इसे भरने पर एक फॉर्म दिखेगा। जिसका प्रिंट आउट पावती के रूप में अपने पास रख लें। इसके साथ ही 18 अंकों का कोड भी मिलेगा।

इसके फायदे और खासियत

- सरकार के पास 1 दिसंबर से बनने वाले प्रमाण-पत्रों का रिकॉर्ड रहेगा।
- चार अंकों के वेरीफिकेशन कोड डालकर कभी भी आवेदन की अद्यतन स्थिति जानी जा सकती है।
- बीपीएससी, आर्मी या अन्य किसी परीक्षा में किसी का वेरीफिकेशन इसके जरिए ऑनलाइन किया जा सकता है।
- किसी का प्रमाण-पत्र या आवेदन पावती भुलाने की स्थिति में कोड को डालकर इसकी कॉपी प्राप्त की जा सकती है।
- सभी प्रमाणपत्रों को नाम या आईडी के आधार पर कभी भी सर्च किया जा सकता है।
- जाना जा सकता है कि किसी व्यक्ति का प्रमाणपत्र कब बना था।

बरतें सावधानियां

- एक बार आवेदन करने वाला व्यक्ति दूसरी बार आवेदन नहीं कर सकता है। • दूसरी बार आवेदन करने पर कंप्यूटर इसे अस्वीकृत कर देगा। • एक मोबाइल नंबर का कई लोगों के प्रमाणपत्र बनाने में इस्तेमाल नहीं करें। • सभी जानकारियों सही भरें, नहीं तो वेरीफिकेशन में फंस सकते हैं।